मलेरिया रोग को फैलने से रोकने के लिए कर्मचारियों की भर्ती

2727. **श्री सरत कार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की एक समिति ने मलेरिया को फैलने से रोकने के कार्य के लिए दिल्ली में कर्मचारियों की भर्ती करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या जो लोग मलेरिया उन्मूलन अभियान में वर्ष 1977-78 के दौरान निगरानी कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे थे उन्हें प्रशिक्षण के लिए लखनऊ भेजने का मार्च, 1978 में कोई निर्णय किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें अभी तक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब उन्हें प्रशिक्षण के लिए कब भेजा जाएगा और यदि उन्हें भेजने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, मार्च-अप्रैल 1978 में दिल्ली नगर निगम के 40 निगरानी कार्यकर्त्ताओं को मलेरिया निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए लखनऊ भेजा गया था ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Accidents in Industries in Private and Public Sectors

2728. SHRI DRONAM RAJU SATYANARAYANA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the number of accidents in various industries both private and public sectors in the country from October, 1977 to June, 1978;

(b) the number of persons died, seriously injured and those sustained minor injuries; and

(c) the amount of compensation paid and other relief given to the victims' family?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) According to information available the number of accidents was 1,00,900.

(b) Out of the injured persons 231 died. The break up of figures between serious and minor injuries is not available.

(c) The information is not available.

Law Providing secret Ballot for electing and recognising unions

2729. SHRI DRONAM RAJU SATYANARAYANA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact a law to make a provision of secret ballot for the purpose of electing the office-bearers of trade unions and also for the recognition of a particular union where the unions are more than one;

(b) if so by what time, and if not, the reasons therefor;

(c) whether any Central Trade Union is/are against the provision of secret ballot; and

(d) if so, what are their number and names?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b) These questions are being considered in the overall context of the Industrial Relations Bill, which would be introduced in Parliament soon.

(c) and (d). The Report on Comprehensive Industrial Relations Law adopted on 21 September 1977 by the Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and Composition of Indian Labour Conference, copies of which are available in the Parliament Library, contains, *inter alia*, the views of the representatives of the Central Trade Union Organisations.

होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता

2730. **श्री मही लाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ते का भुगतान करने के बारे में 30 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अप्रधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टरों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाने के क्या करण हैं ? .

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के अधिकारियों को संलग्न विवरण में अंकित प्रत्यक पद के सामने दी गई तारीखों से प्रैक्टिस बंदी भत्ता देने का निर्णय किया गया है जो वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

इसके अतिरिक्त आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी के स्नातकोतर विभागों (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के अध्यापकों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किये गये स्केलों के अनुसार, पहली जनवरी 1973 से प्रैक्टिस बंदी भत्ता मंजूर किया गया है जो इस प्रकार हैं :—

1. प्राफेसर : 400/—रु० से 500/ रु० तक
2. रीडर : 250/—रु० से 500/—रु० तक
3. व्याख्याता (लेक्चरर) : 150/— रु० से 450/— रुपये तक

इससे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के स्टाफ की यह मांग काफी हद तक पूरी हो जाती है कि उन्हें एलोपैथी के स्टाफ के बराबर समझा जाए ।